237

न्यायालय – राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3286–।/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–8–2016 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 33.अ–21/2015–16

1– राजू तनय लछुवा अहिरवार
2– पर्वता तनय लछुवा अहिरवार
3– चन्दू तनय मरिया अहिरवार
4– जम्मन तनय मरिया अहिरवार
5– चिरई वेवा मरिया अहिरवार
समस्त निवासीगण ग्राम गुरैया,
तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.) .....आवेदकगण

विरूद्ध

2– मध्य प्रदेश शासन .....अनावेदक

———

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव)
(अनावेदक की ओर से शासकीय पैनल अभिभाषक)

:: आदेश ::

(आज दिनांक 23 सितम्वर, 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 33 अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30–8–2016 से परिवेदित होकर, म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम गुरैया में स्थित आराजी नम्बर 125/1, 125/3/2, 127/3, 129/2, रकवा कमशः 0.624, 0.105, 0.283, 1.011 हैक्टर कुल किता–4 कुल रकवा 2.023 हैक्टर का पट्टा आवेदक कमांक–1 व 2 के पिता तथा आवेदक कमांक–3 व 4 के बाबा तथा आवेदक कमांक–5 के ससुर को प्रकरण कमांक 48/अ–19/79–80 आदेश दिनांक 27–3–1982 के तहत प्रदान किया गया था। उक्त प्रश्नाधीन भूमि कृषि हेतु पथरीली तथा असंचित है तथा पट्टा प्राप्त

होने के वाद उक्त भूमि के सुधार के भरसक प्रयास करने के बाबजूद उसको कृषि योग्य नहीं बनाया जा सका। जिसक कारण उक्त भूमि से आवेदकगण के परिवार का भरण पोषण करना संभव नहीं है तथा परिवार के भरण पोषण हेतु अन्य व्यवसाय करने हेतु रूपयो की आवश्यकता होने से तथा उक्त प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय कर आवेदकगण को पर्याप्त प्रतिफल मिलने के कारण आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर महोदय, जिला छतरपुर के समक्ष उक्त प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे प्रकरण कमांक 33 अ–21/2015–16 पर दर्ज करते हुये आवेदकगण का विक्रय अनुमति आवेदन–पत्र आदेश दिनांक 30–8–2016 पारित कर निरस्त किया गया। अपर कलेक्टर के आलोच्य आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि उक्त प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा आवेदक कमांक–1 व 2 के पिता तथा आवेदक कमांक –3 व 4 के बाबा तथा आवेदक कमांक–5 के ससुर को प्रदान किया गया था। पट्टे से प्राप्त भूमि पथरीली व असंचित है जिसको कृषि योग्य बनाने हेतु आवेदकगण द्वारा काफी प्रयास किया गया लेकिन उक्त भूमि कृषि योग्य न बनाई जा सकी। जिसके कारण आवेदकगण अपना व अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे है। आवेदकगण को अपना व अपने परिवार के भरण पोषण हेतु रूपयों की आवश्यकता होने व प्रश्नाधीन भूमि का उचित प्रतिफल मिलने के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि के विकय्र अनुमति हेतु आवेदन अपर कलेक्टर के न्यायालय में पेश किया गया था। जिसे अपर कलेक्टर द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र सद्भावना पूर्ण न होने से निरस्त करने में न्यायिक त्रुटि की गई है।

उनका तर्क है कि, प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आवेदकगण को भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा आवेदकगण उक्त भूमि के रिकार्डेड भूमि स्वामी है। प्रश्नाधीन भूमि पथरीली एवं असंचित होने से उनके द्वारा उक्त भूमि विक्रय कर अन्य व्यवसाय करने हेतु रूपयों की आवश्यक होने के आधार पर विक्रय अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

4– अनावेदक शासन की ओर से विद्धान अधिववता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के ओदश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एंव प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रश्नाधीन भूमि पथरीली व असंचित है, जिसके कारण उस पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता इस कारण आवेदकगण को अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल है। आवेदकगण का अपना व परिवार के जीवन यापन करने हेतु अन्य

व्यवसाय एवं अन्य कृषि भूमि कय करने हेतु रूपयों की आवश्यकता होने व उक्त भूमि का उचित प्रतिफल प्राप्त होने के कारण विकय अनुमति चाही गई। इस तथ्य पर विचार किये बगैर अपर कलेक्टर द्वारा आवेदकगण का विकय अनुमति आवेदन सद्भावना पूर्ण न होने से निरस्त किया गया है। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक को भूमि विकय की अनुमति देने से इन्कार किया है, वे आधार न्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है इस कारण उनका आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–2016 निरस्त किया जाकर, यह निगरानी स्वीकार की जाती है साथ ही आवेदकगण को उसके भूमि स्वामित्व की आराजी नम्बर 125/1, 125/3/2, 127/3, 129/2, रकवा कमशः 0.624, 0.105, 0.283, 1.011 हैक्टर कुल किता–4 कुल रकवा 2.023 हैक्टर की विकय की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है।

1– यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।

2– केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि आवेदक के खाते में जमा की जावेगी।

3– केता द्वारा विकय पत्र प्रस्तुत करने पर विकय धन विकेता (आवेदक) के नाम पंजीयन दिनांक को जमा होने की पुष्टि कर उप पंजीयक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विकय पत्र का पंजीयन किया जायेगा।

4– भूमि के विकय पत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 3 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर